

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम  
इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र  
(जीपीएच परिसर), पोलोग्राउण्ड इन्दौर-452003

आदेश क्रमांक 254 विउशिनिफो/इंदौर/22

प्रकरण क्रमांक W0525122

विषय :- परिवादी को जारी कथित पी.टी. मिसिंग के कारण की गई बिलिंग को समाप्त करने बाबत।

मेसर्स भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड,  
(पूर्ववर्ती इंडस टॉवर्स)  
ग्राम-अजनोद, जिला इन्दौर  
विरूद्ध

---परिवादी

कार्यपालन यंत्री (संचा/संधा) संभाग, मप्रपक्षेविविकलि. इन्दौर

---उत्तरदाता

आदेश

(आज दिनांक 26.09.2022 को पारित किया गया)

परिवादी की ओर से अभिभाषक श्री आशिष जैन उपस्थित।

विपक्ष मप्रपक्षेविविकलिमि. की ओर से श्री अमित कुमार, कनिष्ठ यंत्री उपस्थित।

परिवादी का कथन :-

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में लेख किया गया कि उनका सर्विस कनेक्शन क्रमांक एन.3244003408, स्वीकृत भार 15 किलोवॉट है। परिवादी को विपक्ष द्वारा दिनांक 28.03.2021 से 30.04.2022 तक का पी.टी.मिसिंग के नाम से राशि रु. 236249/- का बिल दिया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 20.08.2022 को एक पत्र क्रमांक 199/08.06.2022 दिया गया, जिस अनुसार दिनांक 28.03.2021 से 30.04.2022 तक 1 फेज पी.टी. मिसिंग पाया गया का कथन कर राशि रु. 236249/- यूनिट 29773 का दिया गया। जबकि कोई पी.टी. मिसिंग परिवादी के परिसर में नहीं पाई गई है। यदि पी.टी मिसिंग पाई भी जाती तो उसका निर्धारण म.प्र.सप्लाय कोड अनुसार किया जाना था।

अतएव कोई पी.टी. मिसिंग नहीं है और यदि किसी स्थिति में मीटर में सही खपत दर्ज नहीं हो पाई हुई होगी, तो मीटर तत्समय मीटर डिफेक्टिव मान्य किया जाकर, म. प्र. सप्लाय कोड 2021 की कंडिका 8.44 अनुसार अथवा म.प्र. सप्लाय कोड 2013 कंडिका 8.35 (चूंकि प्रकरण पुरानी अवधि का है) अनुसार दिया गया कथित मांग राशि का बिल ब्याज सहित समाप्त करने की कृपा करे।

विपक्ष का कथन :-

विपक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे में लेख किया गया कि परिवादी के परिसर का दिनांक 28.03.2021 को कार्यपालन यंत्री एस.टी.एम. (संचा/संधा) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर द्वारा निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान मीटर क्रमांक एम.पी.पी.-27052 की वाय फेस की पी.टी. मिसिंग पाये जाने के कारण एक फेस का निर्धारण कर देयक जारी किया गया

01. परिवादी के परिसर का निरीक्षण एस.टी.एम. संभाग द्वारा दिनांक 28.03.2021 को किया गया। वोल्टेज चेकिंग के दौरान वाय फेज पर वोल्टेज कम पाया गया जिसकी पुष्टि हेतु मीटर की एम.आर.आई. की गई।
  02. मीटर की एम.आर.आई. रिपोर्ट में पाया गया कि एल-2 (वाय फेज) वोल्टेज 0.06 वोल्ट पाया गया जबकि एल-2 (वाय फेज) करन्ट 21.8 एम्पीयर पाया गया। इस कारण मीटर में वाय फेज की खपत नहीं की गई, जो कि असामान्य है।
  03. इस सम्बंध में परिवादी को (संचा/संधा) संभाग इन्दौर के वितरण केन्द्र अजनोद द्वारा सर्विस लाईन बदलने हेतु वाट्सएप के माध्यम से समय-समय पर सूचित किया जाता रहा है। तत्पश्चात परिवादी को पत्र क्रमांक 150 दिनांक 23.02.2022 के माध्यम से भी सर्विस लाईन बदलने हेतु लेख किया गया।
  04. परिवादी के द्वारा क्षतिग्रस्त सर्विस लाईन बदलने के पश्चात पुनः दिनांक 30.04.2022 को मीटर की एम.आर.आई. की गई जिसमें वाय फेस वोल्टेज 248.07 वोल्ट पाया गया। इससे स्पष्ट है कि वाय फेज में वोल्टेज असामान्य है।
  05. वोल्टेज असामान्य पाये जाने पर ही वाय फेज की पी.टी. मिसिंग की बिलिंग की गई।
  06. पी.टी. मिसिंग पाये जाने पर मीटर की कुल खपत 59546 यूनिट दर्ज हुई जो कि 2 फेस की है। उक्त खपत के आधार पर एक फेस की खपत (वाय फेस)  $59546 \div 2 = 29773$  यूनिट का राशि रु. 236249/- का देयक जारी किया गया।
- विपक्ष द्वारा जवाबदावे के साथ एम.आर.आई. की प्रति प्रस्तुत की गई।

विधिक प्रावधान :-

म.प्र.विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 के अध्याय आठ की कण्डिका 8.35 के अनुसार :-

8.35 जिस अवधि में मापयन्त्र (मीटर) कार्यरत नहीं रहता हो, उस अवधि के लिए विद्युत प्रभार की वसूली हेतु देयक निम्न प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया जाएगा

(अ) यदि जांच मापयंत्र (check meter) उपलब्ध हो तो उक्त वाचन (reading) का उपयोग खपत के आकलन हेतु किया जा सकेगा।

(ब) ऐसे प्रकरण में जहां मुख्य मापयंत्र (main meter) त्रुटिपूर्ण हो तथा जांच मापयंत्र (check meter) स्थापित न किया गया हो या त्रुटिपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयन्त्र चक्रों के आधार पर किये गये मापयन्त्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा। तथापि, यदि मापयन्त्र संयोजन तिथि से तीन माह के भीतर त्रुटिपूर्ण होना पाया जाता हो तो विद्युत की मात्रा का आकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तीन मापयंत्र वाचन-चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार किया जा

सकता है, जो इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत किया जा सकेगा कि यदि अनुज्ञप्तिधारी के मतानुसार प्रश्नाधीन माह के अन्तर्गत उपभोक्ता की स्थापना के अन्तर्गत ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ-साथ उपभोक्ता के लिये भी अन्यायपूर्ण थीं, उक्त अवधि के दौरान प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का निर्धारण, अति उच्चदाब/उच्चदाब प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय क्षेत्रीय वृत्त कार्यालय द्वारा व निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण से सन्तुष्ट न हो तो अति उच्चदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में वह स्थानीय क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी तथा निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में उपसंभाग के प्रभारी अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेंगे जिनका निर्णय इस संबंध में अन्तिम होगा।

(स) अनुज्ञप्तिधारी, त्वरित उचित आकलन के अभाव में उपभोक्ता को पिछले तीन मापयन्त्र वाचन चक्रों के औसत मासिक आधार पर अनन्तिम देयक (provisional bill) जारी कर सकेगा जो बाद में किसी अनुवर्ती तिथि को पुनरीक्षण के अध्वधीन होगा।

फोरम का अवलोकन एवं अभिमत :-

प्रकरण में पाया गया कि परिवादी का स्वीकृत भार 15 किलोवॉट, गैर घरेलू श्रेणी सर्विस कनेक्शन क्रमांक एन.3244003408, मेसर्स भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड ग्राम-अजनोद में विद्यमान है। परिवादी ने फोरम में वाद लगाते हुए कथन किया कि विपक्षी का एक पत्र प्राप्त हुआ, जिस अनुसार कथित रूप से पी.टी. मिसिंग अवधि 28.03.2021 से 30.04.2022 तक की पी.टी. मिसिंग यूनिट 29773 की राशि रु. 236249/- की बिलिंग की गई। अतः निवेदन है कि म.प्र.विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 के अनुसार बिल रिवाइज किये जाने की कृपा करें।

अतः उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर फोरम का अभिमत है कि परिवादी के गैर-घरेलू श्रेणी के विद्युत संयोजन क्रमांक एन.3244003408 पर स्थापित मीटर क्रमांक एम.पी. पी.-27052 मेक सिक्योर पर एम.आर.आई. अनुसार दिनांक 28.03.2021 से वाय फेज पर करन्ट विदाउट वोल्टेज (वाय फेज पर पी.टी.मिसिंग) का टेम्पर आया। परिवादी के परिसर का निरीक्षण एस.टी.एम. दल द्वारा दिनांक 30.04.2022 को किया गया। वोल्टेज चेकिंग के दौरान वाय फेज पर वोल्टेज कम पाया गया जिसकी पुष्टि हेतु मीटर की एम.आर.आई. की गई। मीटर की एम.आर.आई. में पाया गया कि एल-2 (वाय फेज) औसत वोल्टेज 0.06 वोल्ट पाया गया जबकि वाय फेज पर औसत करंट 21.8 एम्पीयर पाया गया। इस कारण मीटर में वाय फेज की खपत दर्ज नहीं हुई। मौके पर एस.टी.एम. के दल ने पाया कि परिवादी के संयोजन की सर्विस लाईन क्षतिग्रस्त है। इस सम्बंध में परिवादी को (संचा/संधा) संभाग इन्दौर के वितरण केन्द्र अजनोद द्वारा सर्विस लाईन बदलने हेतु व्हाटसएप्प के माध्यम से समय-समय पर सूचित किया गया। परिवादी के द्वारा क्षतिग्रस्त सर्विस लाईन बदलने के पश्चात पुनः दिनांक 30.04.2022 को मीटर की एम.आर.आई. की गई जिसमें वाय फेज वोल्टेज 248.07 वोल्ट पाया गया। चूंकि क्षतिग्रस्त सर्विस लाईन के कारण मीटर को वाय फेज पर सही वोल्टेज नहीं मिल रहा था।

अतः इस अवधि में मीटर में त्रुटिपूर्ण खपत दर्ज हुई है। विपक्ष द्वारा परिवादी को की गई पी.टी. मिसिंग अवधि 28.03.2021 से 30.04.2022 तक कुल खपत 59546 यूनिट की खपत को दो फेज की खपत मानते हुए 29773 यूनिट राशि रु. 236249/- की अतिरिक्त बिलिंग की गई है, को निरस्त किया जाना चाहिए। क्योंकि विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 के अनुसार इस पद्धति से बिलिंग किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके स्थान पर विधिक प्रावधान मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 के अनुसार माह दिसम्बर-2020, जनवरी-2021 व फरवरी-2021 की औसत खपत के आधार पर दिनांक 28.03.2021 से 30.04.2022 तक की त्रुटिपूर्ण दर्ज खपत को हटाते हुए संशोधित बिलिंग की जाना चाहिए एवं फोरम के आदेश का पालन होने तक का तत्सम्बन्धी अधिभार हटाया जाना चाहिए।

#### फोरम का निर्णय :-

फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारीयों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता है :-

01/ परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है।

02/ अभिमत में उल्लेखानुसार मीटर की एम.आर.आई. में पाया गया कि एल-2 (वाय फेज) औसत वोल्टेज 0.06 वोल्ट पाया गया जबकि वाय फेज पर औसत करंट 21.8 एम्पीयर पाया गया। इस कारण मीटर में वाय फेज की खपत दर्ज नहीं हुई। मौके पर एस.टी.एम. के दल ने पाया कि परिवादी के संयोजन की सर्विस लाइन क्षतिग्रस्त है। इस सम्बंध में परिवादी को (संचा/संधा) संभाग इन्दौर के वितरण केन्द्र अजनोद द्वारा सर्विस लाइन बदलने हेतु व्हाटसएप्प के माध्यम से समय-समय पर सूचित किया गया। परिवादी के द्वारा क्षतिग्रस्त सर्विस लाइन बदलने के पश्चात पुनः दिनांक 30.04.2022 को मीटर की एम.आर.आई. की गई जिसमें वाय फेज वोल्टेज 248.07 वोल्ट पाया गया। चूंकि क्षतिग्रस्त सर्विस लाइन के कारण मीटर को वाय फेज पर सही वोल्टेज नहीं मिल रहा था। अतः इस अवधि में मीटर में त्रुटिपूर्ण खपत दर्ज हुई है।

(अ) विपक्ष द्वारा परिवादी को की गई पी.टी. मिसिंग अवधि 28.03.2021 से 30.04.2022 तक कुल खपत 59546 यूनिट की खपत को दो फेज की खपत मानते हुए 29773 यूनिट राशि रु. 236249/- की अतिरिक्त बिलिंग की गई है, को निरस्त किया जाता है। क्योंकि विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 के अनुसार इस पद्धति से बिलिंग किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ब) इसके स्थान पर विधिक प्रावधान मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 के अनुसार माह दिसम्बर-2020, जनवरी-2021 व फरवरी-2021 की औसत खपत के आधार पर दिनांक 28.03.2021 से 30.04.2022 तक की त्रुटिपूर्ण दर्ज खपत को हटाते हुए संशोधित बिलिंग की जावे एवं फोरम के आदेश का पालन होने तक का तत्सम्बन्धी अधिभार हटाया जावे।

03/ मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2021 के अध्याय 3 की कण्डिका 3.29 में दिये गये प्रावधान के अनुसार विपक्ष फोरम के आदेश का अनुपालन आदेश प्राप्त होने की तिथि से 45 दिवस के भीतर किया जावे।

उपरोक्तानुसार प्रकरण निराकृत किया जाकर, आदेश पारित है।

(एन.एस.मण्डलोई),  
सदस्य

(श्रीमती कमल के.कट्ठर),  
सदस्य

(व्ही.के.गोयल),  
अध्यक्ष